फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री शांतिलाल पिता श्री कालु जी नाई नि0 वार्ड नं. 5, सोलंकी दरवाजा के अन्दर देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.) **— अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 89/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 04.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अ. 89/2024/6055 दिनांक 25.10.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2024 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये डाक इस अनुभाग को दिनांक 09.09.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन में ईप्सित सूचना का संबंध कार्यालय के भू–अभिलेख अनुभाग से होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग को पत्रांक 5044–45 दिनांक 09.09.2024 को प्रेषित किया गया, उक्त पत्रांक की पालना में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 6346–47 दिनांक 24.09.2024 से अवगत कराया कि ईप्सित सूचना का संबंध स्थापना अनुभाग कार्यालय हाजा से संबंधित है। इस कार्यालय के पत्रांक 5081 दिनांक 01.10.2024 से प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग को ईप्सित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग के पत्रांक 1168 दिनांक 04.10.2024 से आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया गया, इस कार्यालय के पत्रांक 5090 दिनांक 10.10.2024 से प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार ईप्सित सूचना में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु उक्त पत्रांक की पालना में प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए जिसके अभाव में सूचना तक पहुंच बनाना संभव नही है। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस	

जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कार्यालय के पत्रांक 5090 दिनांक 10.10.2024 से जरिये डाक से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग के पत्रांक 1168 दिनांक 04.10.2024 से आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया गया और कार्यालय के पत्रांक 5090 दिनांक 10.10.2024 से प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के अनुसार ईप्सित सूचना में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया किन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त पत्रांक की पालना में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए।

इस संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना हेतु नियमानुसार आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न कर वांछित सूचना प्राप्त करें। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद